RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जय श्री दाऊ जी महाराज

बैनामा/विक्रय पत्र

बैनामा सौदा	-	17,82,000/ रुपये
बैनामा मालियती	-	17,82,000/-रुपये
देय स्टाम्प	-	1,78,200/ रुपये
सर्किल रेट	-	30,00,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर
स्थान	-	मौजा बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा
विक्रीत आराजी	-	कुल क्षेत्रफल 1.5690 हैक्टेयर में से 0.5939 हैक्टेयर

मैं० 1780000

5000/- 2000/- 2500/- 900/-

12-6-06

12-6-06

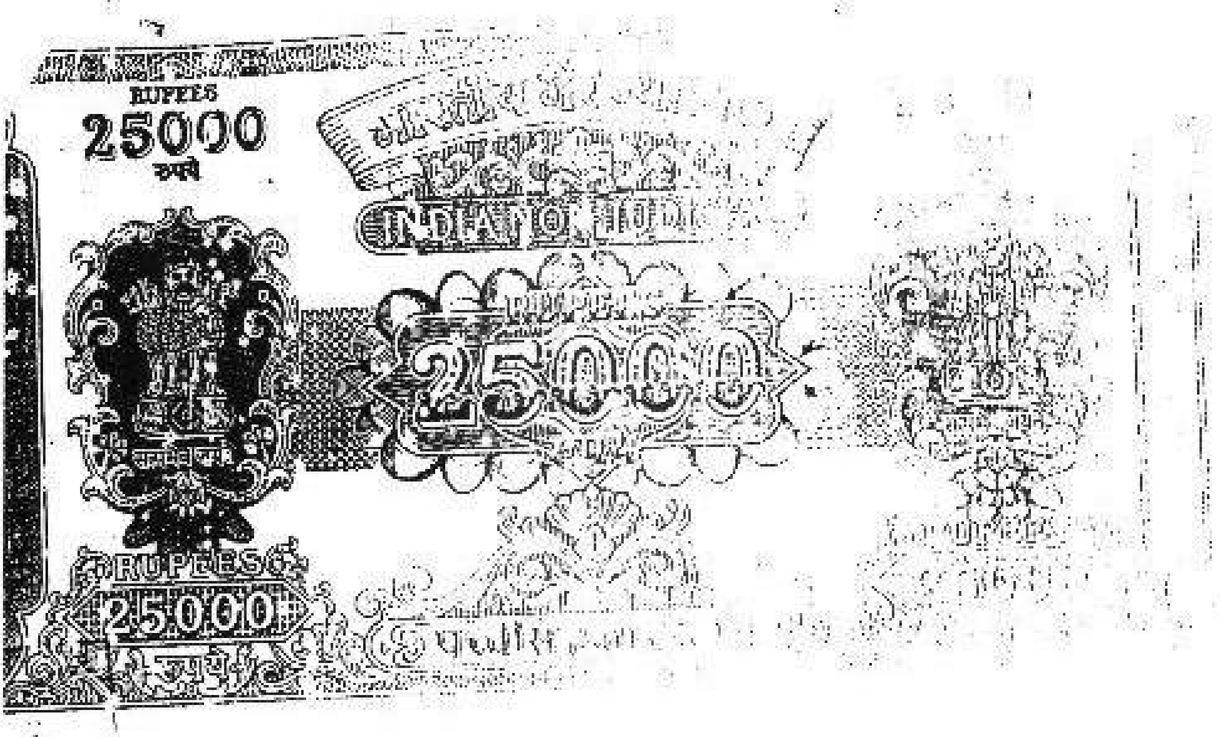

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

इस कि इन्दर सिंह पुत्र श्री सीताराम नि. ग्राम बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा ....विक्रेता प्रथम पक्ष

एवम

शिखर निर्माण प्रा.लि. जी 1, फ्रेण्डस पैराडाइज, सदरी क्रासिंग आगरा द्वारा निदेशक अभिनव भार्गव पुत्र श्री शिव कुमार भार्गव नि0 जी-1 फ्रेण्डस पैराडाइज, सदारी क्रासिंग आगरा

..........क्रेता द्वितीय पक्ष

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000

कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

जो कि एक किता आराजी खाता नम्बरी 20 खसरा नम्बरी 402 क्षेत्रफल 1.5690' हैक्टेयर मालगुजारी 78 रुपये 65 पैसे फसली सन् 1408 से 1413 संक्रमणीय भूमिधरी श्रेणी 1क(क) भौमिक अधिकार प्राप्त वर्ष फसली सन 1402 वाके ग्राम व मौजा बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा।

विदित हो कि उपरोक्त आराजी खाता नम्बरी 20 खसरा नम्बरी 402 क्षेत्रफल 1.5690 हैक्टेयर का मैं मुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष तनहा मालिक काबिज दखील व स्वामी चला आता हूं उपरोक्त आराजी मजकूर मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

और मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेख खतौनी सदर तहसील आगरा में बहैसियत स्वामी के दर्ज चला आता है। और सिवाय मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष के उपरोक्त आराजी मजकूर में अन्य कोई दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है कि जो माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे और उपरोक्त आराजी मजकूर आज तक के हर प्रकार के कर्जे व बार व भार रहन बैय हिबे जेर जमानत आड गिरवी बंधक ऋण, वाहन ऋण, कृषि ऋण व विक्रय व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों व

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जिम्मेदारियों आदि से कतई तौर पर पाक व साफ हैं। अब उपरोक्त आराजी मजकूर का बेचना वास्ते जरूरत खुद व करने भरण पोषण व लालन पालन अपना अपने परिवार का व मिलने माकूल कीमत के मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष को स्वीकार है कि जिसकी क्रेता द्वितीय पक्ष उचित व वाजिब कीमत देने का तैयार व रजामंद है।

लिहाजा मैं मुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये व बिला दबाव किसी नाजायज के प्रसन्न

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चित्त इंद्रिय मन बुद्धि के बिना खाये पीये किसी नशील पदार्थ के व सलाह व मशविरा किये अपने परिवारीजनों व हितैषियों के अपनी उपरोक्त आराजी खाता नम्बरी 20 खसरा नम्बरी 402 क्षेत्रफल 1.5690 हैक्टेयर में से 0.5939 हैक्टैयर आराजी का विक्रय मय तमाम जुमला हक हकूक के मय दाखिली व खारिजी के व बिला छोड़े किशी शे व जुज शे के मय गुड टाईटिल के साथ व एवज मुबलिग 17,82,000/-सत्रह लाख बियासी हजार रुपये कि

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

आधे जिसके मुबलिग 8,91,000/-आठ लाख इक्यानवे हजार रुपये होती हैं। मैं बदस्त-शिखर निर्माण प्रा.लि. जी-1, फ्रेण्डस पैराडाइज, खंदारी कासिंग आगरा द्वारा निदेशक अभिनव भार्गव पुत्र श्री शिव कुमार भार्गव नि0 जी-1, फ्रेण्डस पैराडाइज, खंदारी कासिंग आगरा क्रेता द्वितीय पक्ष को वैय कतई की और बेच दी और कीमत का कुल धन मुबलिग 17,82,000/-सत्रह लाख

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु.　Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये　FIVE THOUSAND RUPEES

बियासी हजार रुपये मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से बजरिये एकाउण्ट पेयी चैक नम्बरी 237304 दिनांक 12.6.2006 जोकि इण्डसिंड बैंक शाखा संजय प्लेस आगरा का है उप सबरजि. महोदय के बरवक्त बैनामा हाजा के प्राप्त कर लिये है अब मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष का क्रेता द्वितीय पक्ष से आराजी मजकूर की कीमत में कुछ भी लेना व पाना बाकी नहीं रहा है।।

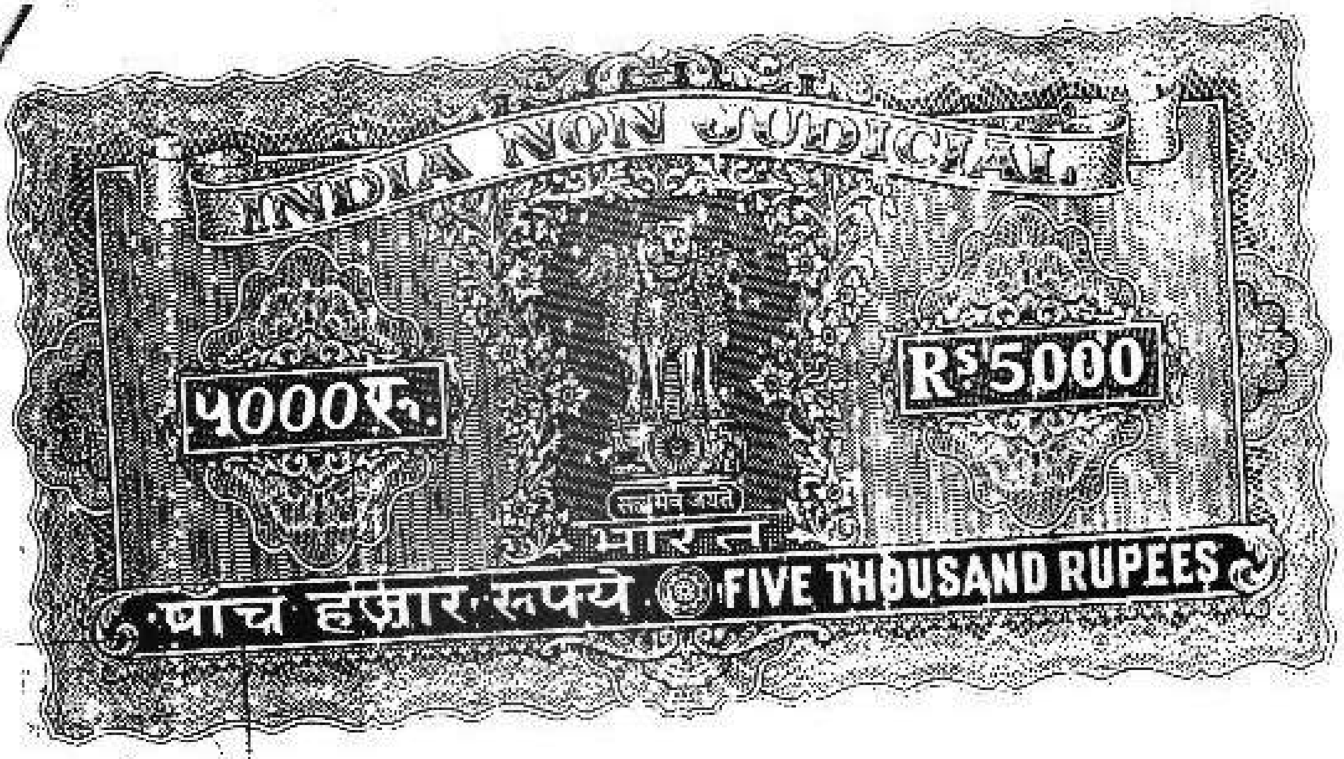

(५)

आयंदा होगा। कब्जा व दखल आराजी मजकूर पर मुआपुंकर विक्रेता प्रथम पक्ष ने बहैसियत स्वामी के क्रेता द्वितीय पक्ष को करा दिया और मालिक मुस्तकिल बना दिया अब क्रेता द्वितीय पक्ष को, हक व अधिकार है कि वह आराजी मजकूर से कोई किसी तरह से फायदा उठावे खुद करे या करावे वक्त आवश्यकता पड़ने पर उसका रहन बैय हिबे मुआहिदा बैय व एक्सूटीवल [illegible] व विक्रय

आदि जो चाहे सो करें। व अपने नाम का नामांकन महकमा माल खतौनी तहसील आगरा में बहैसियत स्वामी के दर्ज करा लेवे कि जिसमें मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष व वारिसान गैरो को किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज न है ना आयंदा होगा।

अगर भविष्य में कोई दीगर कौमी या खानदानी या वाकयाती किसी प्रकार का पैदा होकर आराजी मजकूर में आवे और किसी

(11)

प्रकार का दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे एक जिसकी वजह से आराजी मजकूर का हिस्सा जुज व कुल क्रेता द्वितीय पक्ष से निकल जावे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करनी पड़े या टाईटिल में कोई कानूनी नुक्स या कमी पाई जावे तो

1000Rs.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

ऐसी तमाम सूरतों में उस कुल की जवाबदेही व जमानती व अदायगी गुस्समुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष व वारिसान गैरों की है और आयंदा होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष को हक व अधिकार होगा कि वह अपना रुपया मय हर्जा खर्चा मय असल रकम व मय ब्याज के

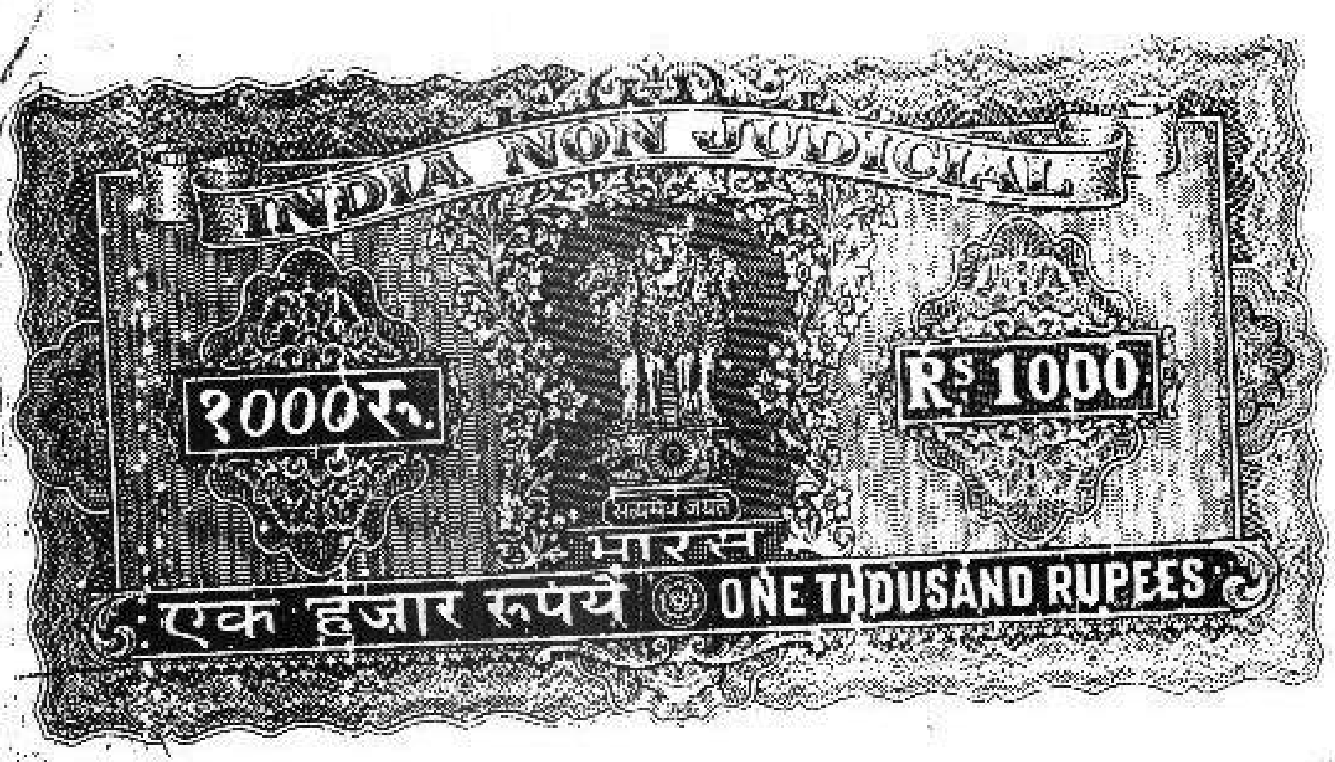

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुझमुकिर विक्रेता प्रथमपक्ष व वारिसान मेरो के बाद जिस तरह से वसूल कर लेवे जिसमें मुझमुकिर विक्रेता प्रथम पक्ष व वारिसान मेरो को किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज न है ना आइंदा होगा।

विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं तथा विक्रीत आराजी मजकूर कृषि भूमि है। तथा कृषि भूमि ही विक्रय की

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जा रही है। तथा विक्रीत आराजी मजकूर नजूल राजकीय आस्थान देवस्थान या पट्टे की भूमि नहीं है और ना ही इसका अधिग्रहण किसी भी योजना के लिए किया गया है ना ही इसका मुआवजा आदि कहीं से प्राप्त किया है और ना ही इसका कब्जा दखल किसी

50 Rs.

पचास रुपये

भारत INDIA

50 रु.

50Rs

FIFTY RUPEES

अन्य को दिया है। उपरोक्त आराजी का विक्रीत भाग खसरा नम्बरी 401 से लगा हुआ है। उपरोक्त आराजी मजकूर के विक्रय में स्टाम्प एक्ट की धारा 27(एक) का उल्लंघन नहीं किया गया है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

५० रु.

FIFTY RUPEES

50RS.

उपरोक्त आराजी मजकूर की वास्तविक कीमत 17,82,000/ रुपये में विक्रय किया जा रहा है तथा विक्रीत कीमत पर ही मुबालिग 1,78,200/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है जो सर्वाधिक है जिसमे सरासर फायदा राजस्व का है।

50 RS.

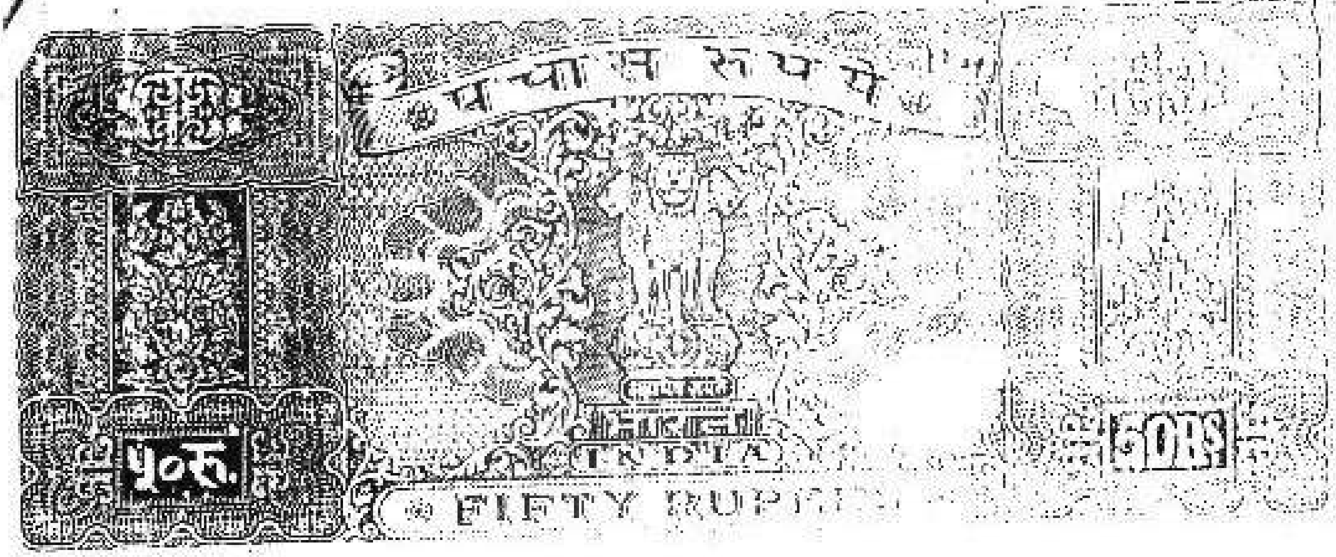

(15)

लिहाजा यह बैनामा हमसुकिरान के कथानुसार लिख दिया तथा हमसुकिरान की पहचान व शिनाख्त गवाहान द्वारा की गई ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे। तहरीर तारीख 12.6.2006 व मसौदा कुलदीप शर्मा एडवोकेट, सदर तहसील आगरा

(18)

टंकणकर्ता ललित कुमार सदर तहसील आगरा

गवाह :- रामअवतार यादव पुत्र श्री गिर्राज सिंह

निवासी :- ग्राम बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा

गवाह :- मुकेश पुत्र स्व. श्री रामकिशन

निवासी :- एल.आई.जी. बी.-346, शास्त्रीपुरम सिकन्दरा आगरा

स्टाम्प विक्रय की तिथि 12/06/2006
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 50/-

नाम-कृष्ण [illegible] सारस्वत
लाइसेन्स नं० 15
लाइसेन्स की अवधि-31-3-200[illegible]
सदर तहसील, आगरा

बही सं० 1
जिल्द 4393
पृष्ठ 1255
से 312
संख्या 3581
दिनांक 12/6/06

उप निबन्धक द्वितीय
आगरा

नक्शा नज़री आराजी वाके मौजा करौली अहीर तह० व

जिला आगरा

खाता संख्या 20

खसरा नम्बरी 402

रकबा 1.5690 हेक्टेयर में से 0.5939 हे०

विक्रेता- इन्दर सिंह

खरीदार- शेखर निर्माण प्रा० लि० आगरा

उत्तर

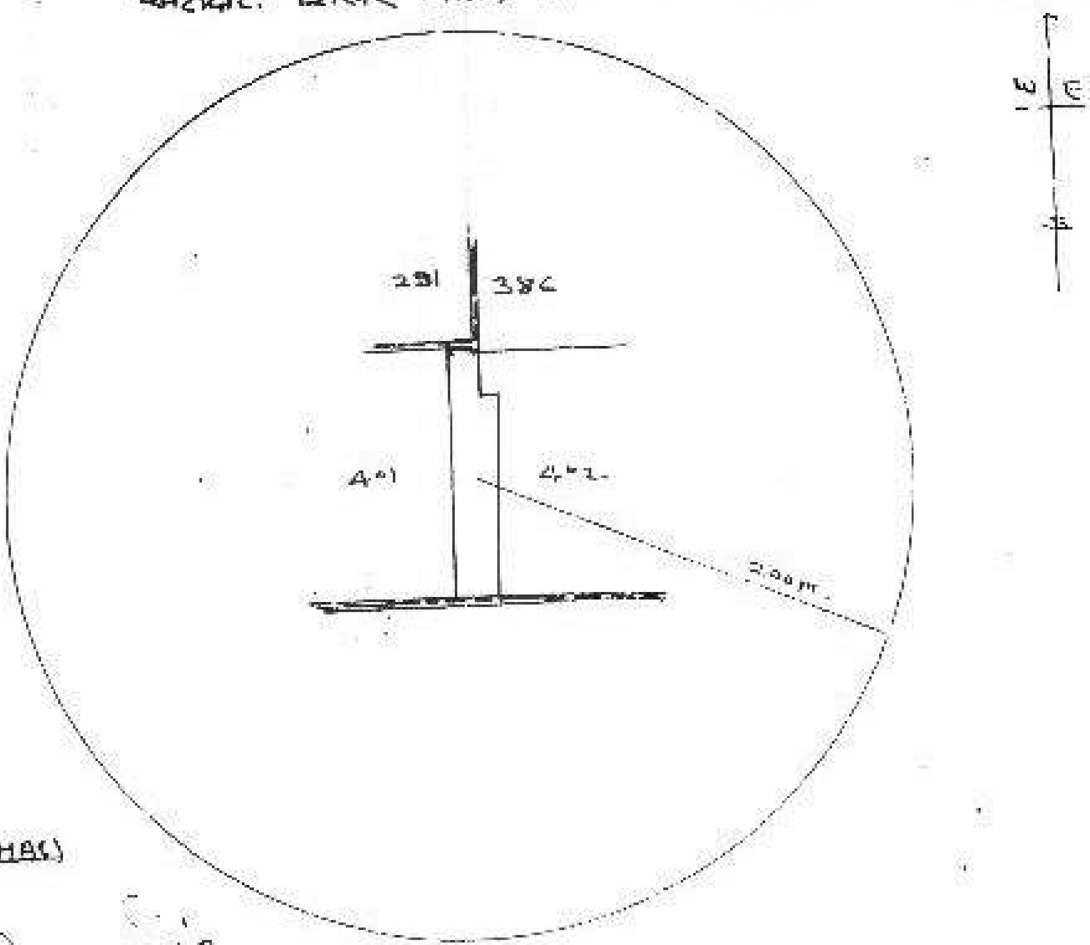

(ORIGINAL)